न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 139/2022 तारीख रजूः— 23.06.2022

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. विक्रम	पिसरान	जाति मीना निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन
2. ओमप्रकाश	श्रीमन	जिला—करौली राजस्थान।
3. ग्यानो बेवा श्रीमन		————————————सायलान

बनाम

1. हरसहाय पुत्र किशोरी		जाति मीना निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन
2. रामकेश	पिसरान	जिला करौली राजस्थान।
3. शिवकेश	हरसहाय	
4. पानो बाई पत्नि हरसहाय		————————————गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :—15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद 01 में दर्ज किया है कि सायलान ने इस सम्मानीय अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 16 ऐअर स्थित ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन में सायलान 1/3 हिस्से के, आराजी ख0नं0 365 रकबा 9 ऐअर स्थित ग्राम कोटरी में सायलान 1/2 हिस्से के, आराजी ख0नं0 168 रकबा 16 ऐअर स्थित ग्राम कोटरी में सायलान 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 57 ऐअर स्थित ग्राम पालनपुर में सायलान 5/48 हिस्से के, आराजीयात ख0नं0 101 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12 ऐअर, ख0नं0 102 रकबा 9 ऐअर, ख0नं0 103 रकबा 21 ऐअर, खसरा नम्बर 91 रकबा 37 ऐअर, ख0नं0 92 रकबा 49 ऐअर कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.28 हेक्टर स्थित ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में सायलान 5/48 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नं 2 व 3 प्रार्थना पत्र का सायलान एवं गैरसायलान ने बाहमी बंटवारा कर रखा है। लेकिन छोटे रकबे के चलते सायलान एवं गैरसायलान के मध्य आये दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसलिये दिनांक 28.02.2022 को सायलान ने गैरसायलान से आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने बाबत कहा, तो उन्होंने साफ, इन्कार कर दिया। इसलिये वाद पत्र एवं संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्म आफ मनी होना संभव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबंद फरमा ने में उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमा फेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान आराजीयात नं 254, 365, 168 बाके ग्राम कोटरी एवं आराजीयात नं. 99, 101, 102, 103, 91, 92 बाके ग्राम पालनपुर, तहसील हिण्डौन से सायलान को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे। आराजीयात को किसी को रहन, वय नहीं करे। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे। जिससे वादीगण सायलान के हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.07.2022 को गैरसायलान की ओर से श्री जनकराम मीना एडवोकेट ने उपस्थित होकर उपस्थिति दी। दिनांक 28.08.2025 को गैरसायलान व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण पुत्र गिल्ली हि0 1/12, कल्याणी पुत्री गिल्ली हि0 1/12, रूपसिंह पुत्र गिल्ली हि0 1/12, लाडबाई पुत्री गिल्ली हि0 1/12, श्रीमन पुत्र किशोरी हि0 1/3, हरसहाय पुत्र किशोरी हि0 1/3 जाति मीणा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 365 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमन पुत्र किशोरी हि0 1/2, हरसहाय पुत्र किशोरी हि0 1/2 जाति मीणा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 168 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमन पुत्र किशोरी हि0 1/4, हरसहाय पुत्र किशोरी हि0 1/4 जाति मीणा सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमन पुत्र किशोरी हि0 5/48, हरसहाय पुत्र किशोरी हि0 5/48 जाति मीणा सा0 कोटरी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 0.12 है0, 102 रकबा 0.09 है0, 103 रकबा 0.21 है0, 91 रकबा 0.37 है0, 92 रकबा 0.49 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्रीमन पुत्र किशोरी हि0 5/48, हरसहाय पुत्र किशोरी हि0 5/48 जाति मीणा सा0कोटरी खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.16 है0, 365 रकबा 0.09 है0, 168 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम कोटरी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसील हिण्डौन तथा खसरा नम्बर 99 रकबा 0.57 है0, 101 रकबा 0.12 है0, 102 रकबा 0.09 है0, 103 रकबा 0.21 है0, 91 रकबा 0.37 है0, 92 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन में सायल सं01 व 2 के पिता एवं सायल सं03 के पति श्रीमन् पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी कोटरी रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। सायलान का दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जबतक उक्त विवादित भूमि का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित है।सायल सं01 व 2 के पिता एवं सायल सं03 के पति श्रीमन् पुत्र किशोरी उक्त विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण अपने हिस्से की आराजीयात के बाबत दावे के निर्णय तक गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। यदि गैरसायलान को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो सायलान के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। पक्षकारान के अधिकार दावे में तय होने हैं। इसलिए दावे के निर्णय तक उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि जिससे पक्षकारों के मध्य और आपसी विवाद व मुकदमेबाजी नहीं बढे। ऐसी स्थिति सायलान का प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 0.16 है0, 365 रकबा 0.09 है0, 168 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन तथा खसरा नम्बर 99 रकबा 0.57 है0, 101 रकबा 0.12 है0, 102 रकबा 0.09 है0, 103 रकबा 0.21 है0, 91 रकबा 0.37 है0, 92 रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम पालनपुर तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली